राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक – एफ 1(2)ग्रावि/ नरेगा/ माद/2012

जयपुर दिनांक 08/05/2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय – महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कार्य स्थगित रखने बाबत।

प्रसंग – गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.7 (1)गृह –7 / 2021 जयपुर दिनांक 06.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में लेख है कि **नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19)** का संक्रमण तेजी से ना फैले, इसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुए पूरे राज्य में दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 तक की अवधि के लिए लॉकडाउन लगाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

उक्त निर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में बढते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यों का कार्य स्थल पर संपादन प्रासंगिक पत्र एवं इसके निरन्तरता में जारी आदेशों तक स्थगित किया जाकर निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यों का कार्य स्थल पर संपादन प्रासंगिक पत्र एवं इसके निरन्तरता में जारी आदेशों तक स्थगित रहेगा।
2. जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के कार्यालय खुले रहेंगे एवं कार्यों की आवश्यकता अनुसार रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत तक कार्मिकों को बुलाया जा सकेगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रोम होम को ही प्राथमिकता दी जावे। जिन कार्यालय दिवस में ड्यूटी नहीं है वे अपने–अपने मुख्यालय पर रह कर वर्क फ्रोम होम करेंगे एवं मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों द्वारा अब तक किये गये कार्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
4. लॉकडाउन की अवधि में वार्षिक कार्य योजना एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर ली जावे, जिसमें निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे ताकि लॉकडाउन की अवधि के तुरन्त बाद कार्यों को प्रारम्भ कर श्रमिकों का नियोजन किया जा सके :–

(अ) लॉकडाउन अवधि के बाद नये प्रारम्भ किये जा सकने वाले कार्यों में व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कार्यों को प्राथमिकता से चयन कर स्वीकृतियां पूर्व में ही जारी कर ली जावे।

(ब) वर्तमान में राज्य में सामुदायिक विकास के लगभग 30000 कार्यों पर 20 लाख श्रमिक नियोजित है। इस प्रकार प्रति सार्वजनिक कार्य औसतन 70 श्रमिक नियोजित है। अर्थात् प्रति ग्राम पंचायत लगभग 3 से भी कम सामुदायिक/सार्वजनिक कार्य चल रहे है, जिन्हें बढाने की आवश्यकता है। अतः विभाग के पूर्व निर्देशों के क्रम में प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक श्रेणी के कार्य अभी से स्वीकृत कर लिये जावे ताकि श्रमिकों का नियोजन कोविड प्रोटोकोल के अनुसार करने में कोई परेशानी ना हो।

(स) विभागीय पूर्व पत्रांक दिनांक 19.03.2010 द्वारा प्रति कार्य अधिकतम 70 श्रमिक एवं माह अप्रेल, मई एवं जून की अवधि में किसी भी कार्यस्थल पर 120 श्रमिकों से अधिक का नियोजन नहीं करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में कोविड महामारी के दौरान संक्रमण ना फैले इसको दृष्टिगत रखते हुए यह संशोधित किया जाता है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यस्थल पर अधिकतम 30 अकुशल श्रमिकों का ही नियोजन किया जावे। विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक कार्यस्थल आकार में बडा होने पर अधिकतम 50 श्रमिकों का ही नियोजन जिला कार्यक्रम समन्वयक के अनुमोदन से किया जा सकेगा। व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी वाले कार्यों पर अधिकतम 10 श्रमिकों का ही नियोजन किया जावे। इस प्रकार गत वर्षों के श्रमिक नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में सामुदायिक/सार्वजनिक श्रेणी के तथा व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कार्य स्वीकृत कर लिये जावे।

(द) श्रमिकों का नियोजन सड़क किनारे वृक्षारोपण, रिंग पिट मॉडल अनुसार पौधारोपण, सड़क किनारे फलदार वृक्षारोपण मड माउण्ड बनाते हुए नर्सरी विकास कार्य, चारागाह विकास कार्य, विद्यालयों, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवन व अन्य सामुदायिक भवनों में पोषण वाटिका का विकास, जल संचयन से संबंधित सार्थक कार्य, पूर्व में बने हुए तालाबों की पाल की ड्रेसिंग मय टॉप बिड्थ (डिजाईन के अनुसार) संधारण जैसे सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर अधिकतम किया जावे। इस हेतु अभी से योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जावे।

5. आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी आदेशों की पालना में गठित समिति पूर्ववत कार्य करती रहेगी।

6. जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 प्रोटोकोल पालन व सर्वेक्षण आदि के कार्यों में जो दायित्व कार्मिकों को दिये जायेंगे, उनका भी यथा अनुसार पालन किया जा सकेगा।

7. पूर्व में किये गये पौधारोपण के कार्यों पर रख–रखाव, नर्सरी विकास के चल रहे कार्य एवं अन्य आवश्यक गतिविधि के कार्य जिन्हें बीच में रोका नहीं जा सकता पर, कोविड–19 से संक्रमण रोकने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं यथा सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क लगाना इत्यादि सुनिश्चित करते हुए अधिकतम 2 श्रमिकों की सीमा तक नियोजन करते हुए ही कार्य करवाये जाये।

चूकिं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु परस्पर कम से कम सम्पर्क हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा के कार्यों पर नियोजित श्रमिकों में कोविड –19, का संक्रमण नहीं फैले, इस हेतु समय–समय पर राज्य सरकार, गृह विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं आपके स्तर से सुनिश्चित की जावे।

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह(ग्रुप–7) राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस ।
7. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
13. एमआईएस शाखा को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त जिलों को जरिये ईमेल भिजवाये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस
07/05/21